REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2025

"रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"

डॉ. साधना आदिवासी
एम.ए., पी–एच.डी. (समाजशास्त्र)
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

वर्तमान शोध पत्र ''रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय प्रभाव : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' रीवा जिले के ग्राम्य शासन प्रणाली में जातीय संरचना की भूमिका का गहन समाजशास्त्रीय मूल्यांकन करता है। पंचायती राज व्यवस्था, जहाँ लोकतांत्रिक भागीदारी का उद्देश्य रखा गया है, वहाँ व्यवहार में जातीय समीकरणों का वर्चस्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह शोध अध्ययन दर्शाता है कि पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों का चयन, मतदान की प्रवृत्ति, निर्णय–निर्माण और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जातीय समूहों की प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है। अनुसंधान में ग्राम पंचायतों के स्तर पर जातीय प्रभाव के विविध स्वरूपों का विश्लेषण किया गया है तथा इससे उत्पन्न सामाजिक विषमता, पक्षपात एवं विकास में असंतुलन की स्थिति को रेखांकित किया गया है। इस शोध पत्र में पंचायतों को अधिक समावेशी, न्यायसंगत एवं लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने हेतु यथोचित सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द– जिला रीवा, पंचायती राज व्यवस्था, जातीय प्रभाव, विश्लेषण, अध्ययन।

प्रस्तावना –

भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाने में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह प्रणाली केवल शासन का माध्यम नहीं, बल्कि जनभागीदारी, उत्तरदायित्व और सामुदायिक विकास की अवधारणा को साकार करने का सशक्त उपकरण मानी जाती है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्थानीय शासन का विधिक आधार दिया गया, जिससे ग्रामीण भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को गति मिल सके। किंतु व्यवहारिक धरातल पर जब हम पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की पारंपरिक सामाजिक संरचना विशेषतः जाति व्यवस्था, इन संस्थाओं के स्वरूप एवं संचालन को प्रभावित करती रही है।

रीवा जिला मध्यप्रदेश का एक प्रमुख जिला है जिसकी सामाजिक संरचना जातीय विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुशवाहा, कोरी, चर्मकार, गोंड, कोल आदि अनेक जातियाँ निवास करती हैं,

जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एक–दूसरे से भिन्न है। इस विविधता के बावजूद जातीयता केवल सामाजिक पहचान तक सीमित न रहकर राजनीतिक व्यवहार एवं सत्ता के वितरण में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्थाओं में उम्मीदवारों का चयन, मतदाताओं का जाति आधारित ध्रुवीकरण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली, तथा योजनाओं के लाभार्थियों का निर्धारण इन सभी प्रक्रियाओं में जातीय प्रभाव गहराई से देखने को मिलता है।

जातीय वर्चस्व, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के स्तर पर, जनकल्याण के कार्यों में पक्षपात, संसाधनों के वितरण में असमानता तथा प्रशासनिक निष्पक्षता के अभाव को जन्म देता है। इससे एक ओर तो लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होता है, वहीं दूसरी ओर समाज में विभाजन, असंतोष एवं प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है। यह स्थिति न केवल सामाजिक समरसता को प्रभावित करती है, बल्कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को भी बाधित करती है।

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में व्याप्त जातीय प्रभावों का गहन विश्लेषण करना है, ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार जातिगत संरचनाएँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। साथ ही यह प्रयास किया गया है कि जातीय प्रभाव के स्वरूप, कारण एवं परिणामों की पहचान कर ऐसे व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ, जिनसे पंचायत व्यवस्था को अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं निष्पक्ष बनाया जा सके।

इस शोध के माध्यम से अनुसंधानकर्ता यह स्पष्ट करना चाहता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की सफलता केवल विधिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सामाजिक चेतना, समरसता और समावेशी भागीदारी जैसे तत्वों की भी उसमें समान भूमिका होती है। अतः पंचायती राज व्यवस्था के वास्तविक लोकतंत्रीकरण के लिए जातीय प्रभावों की गहन पड़ताल अत्यावश्यक है।

शोध उद्देश्य –

रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय प्रभाव की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक समरसता और विकास के समान अवसरों को भी बाधित करता है। इसी संदर्भ में यह शोध निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है –

1. रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय संरचना और उसके प्रभावों का गहन विश्लेषण करना।
2. पंचायत चुनावों में जाति आधारित प्रतिनिधित्व, मतदान व्यवहार तथा आरक्षण नीति के व्यवहारिक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. पंचायत संचालन में जातीय हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने हेतु व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध विधि –

यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत हेतु रीवा जिले की चयनित ग्राम पंचायतों में साक्षात्कार और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकों, शोध लेखों, सरकारी रिपोर्टों, जनगणना आँकड़ों एवं पंचायती राज संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का समाजशास्त्रीय और सांख्यिकीय दृष्टिकोण से विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं, जिससे जातीय प्रभाव की वास्तविक स्थिति को उजागर किया जा सके।

विश्लेषण –

रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय प्रभावों का अध्ययन उद्देश्यों पर केंद्रित रहा है, जिसके लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह कर उनका विश्लेषण किया गया है। जिले की जातीय संरचना और पंचायतों पर उसके प्रभाव का परीक्षण किया गया है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रायः जातीय जनसंख्या के अनुपात और प्रभुत्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार जिन पंचायतों में

यादव, कुशवाहा या ठाकुर जैसी जातियों की जनसंख्या अधिक है, यहाँ उन्हीं जातियों के प्रतिनिधि सरपंच पद पर निर्वाचित पाये गये हैं। लगभग 60% पंचायतों में प्रभावशाली जातियाँ योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाती हैं।

इसी क्रम में पंचायत चुनावों में जाति एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। लगभग 72% मतदाताओं ने स्वीकार किया कि वे उम्मीदवार के चयन में जातिगत समीकरण को प्राथमिकता देते हैं। यह प्रवृत्ति सभी जातीय वर्गों में देखी गई, जिससे चुनावों की प्रकिया लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा जातीय वफादारी पर आधारित हो गई है। आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रतिनिधि तो निर्वाचित होते हैं, परंतु कई बार वे केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक निर्णय उनके जातीय संरक्षक या ग्राम के प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा लिए जाते हैं। इस स्थिति में आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव सीमित होकर केवल राजनीतिक आंकड़ों तक सिमट जाता है, जबकि सामाजिक सशक्तिकरण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

इसी प्रकार यह भी विश्लेषित किया गया है कि पंचायत संचालन में जातीय हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्याओं की पहचान की गई है। आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि लगभग 55% पंचायतों में विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन में लाभार्थियों का चयन जातिगत पक्षपात के आधार पर किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लाभार्थियों ने शिकायत की कि योजनाओं में उनके नामों को जानबूझकर दरकिनार किया गया है। वहीं ग्राम सभा की बैठकें भी जातीय असंतुलन से ग्रस्त हैं, कई बार निम्न जातियों के प्रतिनिधियों को बोलने नहीं जाता है या उनके प्रस्तावों की उपेक्षा की गई। यह स्थिति पंचायत व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर करती है और सामाजिक विषमता को बढ़ावा देती है।

इस प्रकार निष्कर्षतः रूप में उक्त विश्लेषणात्मक अध्ययन स्पष्ट किया गया है कि रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय प्रभाव एक गंभीर सामाजिक यथार्थ है। यह प्रभाव न केवल चुनावों और प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है, बल्कि पंचायत संचालन, विकास योजनाओं के वितरण और सामाजिक सहभागिता को भी नियंत्रित करता है। इस परिस्थिति में पंचायतों को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक अंकेक्षण, जन–जागरूकता, सशक्त ग्राम सभाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जातीय असमानताओं को न्यूनतम किया जाए, तभी पंचायत व्यवस्था अपने वास्तविक लोकतांत्रिक उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगी।

निष्कर्ष –

रीवा जिले की पंचायती राज व्यवस्था में जातीय प्रभाव का विश्लेषण करते हुए निष्कर्षतः यह पाया गया है कि जातीय संरचना न केवल पंचायतों के चुनाव एवं प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है, बल्कि शासन–प्रशासन की समूची प्रक्रिया में भी इसकी गहरी पकड़ है। ग्राम पंचायतों में प्रत्याशी चयन, मतदान व्यवहार, निर्णय–निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन तक, जातीयता एक सशक्त सामाजिक कारक के रूप में कार्य कर रही है। अनुसंधान से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि आरक्षण नीति के बावजूद वंचित वर्गों को वास्तविक सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सत्ता का नियंत्रण अब भी प्रभावशाली जातियों के पास है। इस जातीय वर्चस्व के परिणामस्वरूप पंचायत व्यवस्था में असमानता, पक्षपात और सामाजिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास होता है। अतः यह आवश्यक है कि पंचायत प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाए। सामाजिक अंकेक्षण, प्रशिक्षण, जनजागरूकता एवं प्रभावी ग्राम सभाओं के माध्यम से जातीय प्रभाव को न्यून किया जा सकता है। तभी पंचायती राज व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य– जनसहभागिता, समता और विकास को सही अर्थों में साकार कर सकेगी।

संदर्भ –

1. जोधका, सुरिंदर एस., आधुनिक भारत में जाति, राउटलेज प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2010
2. शर्मा, राजेन्द्र कुमार, भारतीय समाज : संस्थाएँ एवं परिवर्तन, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, वर्ष 2014

3. तिवारी, शम्भूनाथ, मध्यप्रदेश में पंचायती राज का विकास, विश्वविद्यालय प्रकाशन, भोपाल, वर्ष 2018
4. भारत सरकार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, खंड 6, वर्ष 2007
5. सिंह, योगेन्द्र, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, वर्ष 2000
6. राव, एम. गोविंद, विकेन्द्रीकरण और स्थानीय शासन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, वर्ष 2006
7. भारत की जनगणना (2011), जिला जनगणना पुस्तिका रीवा, भारत सरकार
8. मैथ्यू, जॉर्ज, भारत के राज्यों में पंचायती राज की स्थिति, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, वर्ष 2000
9. यादव, बलदेव, ग्रामीण राजनीति में जातीय गतिशीलता, रजत पब्लिकेशन्स, दिल्ली, वर्ष 2009
10. वर्मा, अरविन्द कुमार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, ग्रंथ निकेतन, दिल्ली, वर्ष 2015